



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/ फाल्गुन 16, 1940

No. 174]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/ PHALGUNA 16, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

सा.का.नि.199(अ)— केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी अभिदाय (विनियमन), नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी अभिदाय (विनियमन), नियम, 2011 में,

(i) नियम 2 के उप-नियम 1 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(कक) “बैंक खाते” से कोर बैंकिंग अनुवर्ती बैंक में बैंक खाता अभिप्रेत है, जो लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत हो”;

(ii) नियम 6 में, “सरकार को” शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“को ब्योरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन अपलोड करके”;

(iii) नियम 7 के उप-नियम (1) में, “करेगा” शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन करेगा”;

(iv) नियम 9 में,-

(क) उप-नियम (1) में,-

(अ) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) किसी व्यक्ति द्वारा, विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र हेतु आवेदन, प्ररूप एफ.सी.-3क में इलेक्ट्रानिक रूप से ऑनलाइन किया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति द्वारा, विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन, प्ररूप एफ.सी.-3ख में इलेक्ट्रानिक रूप से ऑनलाइन किया जाना चाहिए”;

(आ) खंड (ड.) में, “एफसी-6” अक्षरों और अंक के स्थान “एफसी-6घ” अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) के खंड (ड.) में, “एफसी-6” अक्षरों और अंक के स्थान “एफसी-6घ” अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ग) उप-नियम (4) में,-

(अ) खंड (क) में “1000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र)” अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर “3000/- रुपये (तीन हजार रुपये मात्र)” अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(ब) खंड (ख) में “2000/- रुपये (दो हजार रुपये मात्र)” अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर “5000/- रुपये (पांच हजार रुपये मात्र)” अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(v) नियम 12 में,-

(क) उप-नियम (2) में, “प्ररूप एफसी-3 में केंद्रीय सरकार को” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “प्ररूप एफसी-3ग में केंद्रीय सरकार को इलेक्ट्रानिक रूप से ऑनलाइन” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (4) में, खंड (क) में “500/- रुपये (पांच सौ रुपये मात्र)” अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर “1500/- रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये मात्र)” अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उप-नियम (8) में,-

(अ) “अपेक्षित फीस” शब्दों के पश्चात् “5000/- रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) विलम्ब फीस सहित” अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे;

(आ) “4 मास” शब्दों के स्थान पर “एक वर्ष” शब्द रखे जाएंगे;

(vi) नियम 17क में,-

(क) “प्ररूप एफ.सी.-6 में” शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (i) में, “अधिनियम” शब्द के पश्चात् “प्ररूप एफ.सी.-6क में” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) मद (ii) में, “प्राधिकारियों” शब्द के पश्चात्, “प्ररूप एफ.सी.-6ख में” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) मद (iii) में,-

(अ) “संख्यांक” शब्द के पश्चात्, “प्ररूप एफ.सी.-6ग में” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) अंत में आ रहे “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ड.) मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(iii)क) प्ररूप एफ.सी.6घ में, विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के पश्चात् इसका उपयोग किए जाने के प्रयोजन हेतु बैंक और/अथवा बैंक की शाखा, और”;

(च) मद (iv) में, अधिनियम" शब्द के पश्चात्, "प्ररूप एफ.सी.-6ड. में" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(vii) एफसी-1 से लेकर एफसी-6 तक के प्ररूपों के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

प्ररूप एफ.सी.-1
[नियम 6, 17
और 18 देखें]

सचिव, भारत सरकार,

गृह मंत्रालय,

विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कंध)

मेजर ध्यान चंद नेशनल

स्टेडियम, इंडिया गेट, नई दिल्ली-110002

विषय: [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 21] के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा रिश्तेदार से उपहार के रूप में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने/किसी प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन के लिए वस्तुओं/प्रतिभूतियों के रूप में विदेशी अभिदाय प्राप्ति की सूचना केंद्रीय सरकार को देना:

महोदय,

मैं.....व्यक्ति/संगम/कम्पनी अधिनियम, 1956/कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी के रूप में निम्नलिखित के संबंध में सूचना देता हूँ:

रिश्तेदार से उपहार के रूप में विदेशी अभिदाय की प्राप्ति	हां/नहीं
विदेशी अभिदाय (वस्तुएं) खाता	हां/नहीं
विदेशी अभिदाय (प्रतिभूति) खाता	हां/नहीं
निर्वाचन के लिए किसी प्रत्याशी द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति	हां/नहीं

भाग-क

(रिश्तेदार से उपहार के रूप में विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की सूचना देने वाले आवेदक द्वारा भरा जाए)

1. प्राप्तकर्ता का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
2. जन्म तारीख :
3. पिता/पति/पत्नी का नाम:
4. प्राप्तकर्ता का संपर्क संबंधी विवरण:
- (क) पता :
- (ख) एसटीडी कोड सहित टेलीफोन और मोबाइल नं.:
- (ग) ई-मेल
5. प्राप्तकर्ता का भारत में स्थायी खाता संख्या (पैन) नम्बर :
6. प्राप्तकर्ता का भारत की आधार संख्या (वैकल्पिक):
7. प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम, यदि वित्त वर्ष में एक लाख रुपये या समतुल्य से अधिक है:
8. बैंक विवरण सहित बैंक ड्राफ्ट संख्या या टेलीग्राफिक अंतरण या अन्य सम्प्रेषण :
9. रिश्तेदार के ब्योरे :

- (क) नाम:
 (ख) राष्ट्रियता:
 (ग) किस देश में निवास करता है:
 (घ) ई-मेल पता:
 (ङ) पासपोर्ट नम्बर:
 (च) प्राप्तकर्ता के साथ संबंध:

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सत्य एवं सही है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर
 (नाम, स्पष्ट अक्षरों में)

भाग-ख

(विदेशी अभिदाय (वस्तुएं) खाता/विदेशी अभिदाय (प्रतिभूति) खाता के बारे में सूचना देने वाले आवेदक द्वारा भरा जाए)

1. आवेदक के ब्योरे :
 - (i) पूरा नाम:
 - (ii) संपर्क संबंधी विवरण:
 - (क) पता:
 - (ख) अधिकृत टेलीफोन नं.(एसटीडी कोड सहित):
 - (ग) अधिकृत ई-मेल पता:
 - (iii) एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा संख्या और तारीख यदि कोई हो:
 - (iv) संगम का पैन (स्थायी खाता सं.):
 - (v) प्राप्तकर्ता का भारत की आधार संख्या (वैकल्पिक):

2. वस्तुओं के ब्योरे

तारीख	वस्तु(ओं) का नाम	विवरण	जिस व्यक्ति से प्राप्त की है, उसका नाम और पता	उद्देश्य	मात्रा	अनुमानित मूल्य (रु.)	उपयोग/निपटान की रीति निपटान किए जाने पर किसे दी गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

3. प्रतिभूतियों के ब्योरे

तारीख	किस प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त की है	जिस व्यक्ति से प्राप्त की है, उसका नाम और पता	न्यूनतम मूल्य (रु.)	बाजार मूल्य (रु.)	भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञा का विवरण	उपयोग/निपटान की रीति (निपटान किए जाने पर किसे दी गई)
1	2	3	4	5	6	7

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सत्य एवं सही है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में)
कार्यालय मुहर

भाग-ग

(निर्वाचन के लिए किसी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की सूचना केंद्रीय सरकार को देने के लिए भरा जाए) [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 21]

1. पूरा नाम:
2. जन्म तारीख :
3. पिता/पति-पत्नी का नाम :
4. संपर्क ब्योरे :
- (क) पता :
- (ख) ई-मेल पता:
- (ग) टेलीफोन सं. और मोबाइल नं. (एसटीडी कोड सहित) :
5. प्राप्तकर्ता का भारत की आधार संख्या (वैकल्पिक):
6. वह तारीख जिस दिन विधान मंडल के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी के रूप में सम्यक रूप से नामनिर्देशित किया गया है और विधान मंडल के ब्योरे : (अधिनियम की धारा 21 देखें)
7. निर्वाचन के लिए प्रत्याशी के रूप में जिस दिन से सम्यक रूप से नामनिर्देशित किया गया है उस दिन से पहले के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर प्राप्त विदेशी अभिदाय के ब्योरे :

नकद/वस्तु/प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्त विदेशी अभिदाय	मूल्य (रु.)	उद्देश्य	दाता का नाम, पता और ई-मेल	व्यक्तिगत दाता की राष्ट्रीयता	दाता के साथ संबंध	उपयोग के ब्योरे
1	2	3	4	5	6	7

घोषणा

मैं द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सत्य एवं सही है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

प्ररूप एफ.सी.-2
[नियम 7(1) देखें]

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कंध),
मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,
इंडिया गेट, नई दिल्ली-110002

विषय: विदेशी आतिथेय स्वीकार करने हेतु केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन।

[टिप्पण: आकस्मिक चिकित्सा सहायता स्थिति में विदेशी आतिथेय स्वीकार करने के मामले में ऐसे विदेशी आतिथेय को स्वीकार करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्ररूप एफ.सी.-2 में दिए गए पते पर सचिव, गृह मंत्रालय को सादे कागज पर सूचना दी जानी चाहिए।]

1. पूरा नाम:
2. जन्म तारीख :
3. पिता/पति का नाम :
4. पैन संख्या:
5. आधार संख्या (वैकल्पिक) :
6. संपर्क ब्योरे :
- (क) पता:
- (ख) एसटीडी कोड सहित टेलीफोन और मोबाइल नं.:
- (ग) ई-मेल:
7. पासपोर्ट के ब्योरे (यदि पहले से है) :
8. प्रास्थिति:
- (क) विधान मंडल के सदस्य (ख) किसी राजनीतिक दल के कृत्यकारी (ग) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (घ) सरकारी कर्मचारी (ङ.) सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम अथवा किसी निकाय का कर्मचारी:
9. प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित आतिथेय के ब्योरे :

शहरों/देशों का नाम जिनमें आतिथेय स्वीकार किया जाना है	ठहरने की अवधि कब से/ कब तक	यात्रा का उद्देश्य	स्वीकार किए जाने वाले आतिथेय का स्वरूप		स्वीकार किए जाने वाले आतिथेय की अवधि	आतिथेय पर किया जाने वाला अनुमानित व्यय	टिप्पणियां
			नकदी के रूप में	किस्म के रूप में			
1	2	3	4	5	6	7	8

10. पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकार किया गया आतिथेय: [हां/नहीं]
- (क) यदि हां, तो उसके ब्योरे :

शहरों/देशों का नाम जिनमें आतिथेय स्वीकार किया गया था	ठहरने की अवधि कब से/ कब तक	यात्रा का उद्देश्य	स्वीकार किए जाने वाले आतिथेय का स्वरूप		स्वीकार किए जाने वाले आतिथेय की अवधि	आतिथेय पर किया गया अनुमानित व्यय (रु.)	क्या गृह मंत्रालय से अनुमति ली गयी थी (हां/नहीं)	टिप्पणियां
			नकदी के रूप में	वस्तु के रूप में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. क्या आवेदक को विदेशी आतिथेय की स्वीकृति संबंधी अनुमति प्रदान करने से कभी इंकार किया गया है, यदि हां, तो उसके ब्योरे :

12. मेजबान(नों) के ब्योरे :

मेजबान का प्रकार- व्यक्ति/ संगम	पूरा नाम	राष्ट्रीयता/ पासपोर्ट संख्या	व्यवसाय	पता	ई-मेल	एसटीडी कोड सहित टेलीफोन ; मोबाइल नं.
1	2	3	4	5	6	7

13. आतिथेय प्रदान करने वाले मेजबान तथा/या विदेशी स्रोत के साथ संबंध/संपर्क का स्वरूप:

14. प्रदान किए जाने वाले आतिथेय के ब्योरे के बारे में मेजबान की ओर से पत्र और जिस संगम से आवेदक संबंध रखता है उसकी ओर से सिफारिश पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

घोषणा और वचन

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सत्य एवं सही है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम, स्पष्ट अक्षरों में)

प्ररूप एफ.सी.-3 क
[नियम 9(1) (क) देखें]

सं. _____

तारीख _____

दर्पण आईडी***-

सचिव, भारत सरकार,

गृह मंत्रालय,

विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कंध),

मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,

इंडिया गेट, नई दिल्ली-110002

*** टिप्पणी:- दर्पण आईडी का ब्योरा प्रदान करना वैकल्पिक है।

विषय: किसी निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले संगम द्वारा अभिदाय स्वीकार करने हेतु विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन 'रजिस्ट्रीकरण' के लिए आवेदन:

महोदय,

मैं _____, व्यक्ति/हिंदू अविभक्त कुटुम्ब/संगम/कम्पनी अधिनियम, 1956/कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी के रूप में निम्नलिखित ब्योरे प्रदान करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रीकरण हेतु केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करता हूँ।

1. जिन कार्यकलापों के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया गया था उन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वहन किया गया व्यय [अधिनियम की धारा 12 (4) (ख) देखें]: रु.:

2. आवेदक/संगम के ब्योरे :

(क) पूरा नाम:

(ख) पता:

(ग) संगम का टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित):

(घ) संगम का ई-मेल पता:

(ड.) अधिकृत वेबसाइट है तो उसका पता:

(च) मुख्य कृत्यकारी का टेलीफोन (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.:

3. रजिस्ट्रीकरण के ब्योरे

(क) अधिनियम जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, कम्पनी अधिनियम,

1956/ कम्पनी अधिनियम, 2013 आदि का नाम जिनके अधीन संगम रजिस्ट्रीकृत है:

(ख) रजिस्ट्रीकरण की संख्या, तारीख और स्थान:

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(ग) संगम का पैर (स्थायी खाता संख्या):

4. संगम का स्वरूप:

(क) धार्मिक (ख) सांस्कृतिक (ग) आर्थिक (घ) शैक्षिक (ड) सामाजिक

टिप्पण: यदि धार्मिक संगम है तो उल्लेख करें कि किस से संबंधित है (क) हिन्दू (ख) सिक्ख (ग) मुस्लिम (घ) ईसाई (ड) बौद्ध (च) अन्य:

5. संगम के मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य

(संगम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को दर्शाने वाले संगम ज्ञापन और/या संगम के अनुच्छेदों के सुसंगत पृष्ठों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6. (क) संगम के मुख्य कृत्यकारियों के ब्योरे :

नाम	पिता/पति /पत्नी का नाम	राष्ट्रीयता	आधार संख्या *	पैन	व्यवसाय	संगम में धारित पद का नाम	कृत्यकारी परिषद /शासी निकाय के अन्य सदस्य(यों)/ पदाधिकारियों के साथ संबंध	संपर्क विवरण: कार्यालय पता: आवासीय पता: ई-मेल: टेलीफोन नं.: मोबाइल नं.:
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*टिप्पण: - स्तंभ (4) में आधार संख्या के ब्योरे प्रदान करना वैकल्पिक है।

(ख) यदि उपर्युक्त में कोई भी विदेशी (पीआईओ/ओसीआई कार्ड धारक सहित) हो तो, उसके ब्योरे :

नाम	जन्म तारीख और स्थान	पासपोर्ट संख्या	विदेश का पता	क्या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं	यदि कोई पीआईओ/ओसीआई कार्ड संख्या है तो उसकी संख्या	यदि भारत के निवासी हैं, तो वह तारीख जब से भारत में रह रहे हैं
1	2	3	4	5	6	7

7. भुगतान की गई फीस की रकम (रु. में):

8. क्या संगम का कोई वर्तमान मुख्य कृत्यकारी अपने कार्यालय संबंधी कार्यों या व्यक्तिगत आचरण में निम्नलिखित से संबंधित रहा है :

(क) न्यायालय द्वारा कभी दोषसिद्ध ठहराया गया है:

(ख) उसके विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन लंबित है:

(ग) संगम की निधियों या विगत में किसी अन्य संगम की निधियों के अपयोजन या दुरुपयोग का दोषी पाया गया है:

(घ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया है:

(ङ) किसी अन्य संगम का वर्तमान में मुख्य कृत्यकारी है:

(च) किसी ऐसे अन्य संगम का मुख्य कृत्यकारी है जिसके विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 13 या 14 के अधीन कोई आदेश पारित हुआ हो:

टिप्पण: उपर्युक्त (क) से (च) तक किसी का उत्तर यदि हां है तो, मामले का पूरा विवरण दिया जाए।

9. क्या आवेदक संगम:

(क) विदेश स्थित संगम या अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत या पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर चुके किसी संगम की शाखा/ इकाई/ सहयोगी है। यदि हां, तो संगम का नाम तथा पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या/पूर्व अनुज्ञा संख्या और तारीख बताएं:

(ख) यदि अधिनियम की धारा 10 लागू होती है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अधीन पारित आदेश के ब्योरे दें:

(ग) अधिनियम की धारा 9(घ) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। यदि हां, तो सुसंगत आदेश की संख्या एवं तारीख:

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49)/ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के उपबंधों के अनुसार पहले भी अभियोजन चलाया जा चुका है, यदि हां तो, उसका ब्योरा दें:

10. विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए नामनिर्दिष्ट एफसी बैंक खाते के ब्योरे :

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
1.	2.	3.	4.	5.	6.

11. (i) (क) यदि विगत में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती प्रदान की गई है तो, स्वीकृति की संख्या और तारीख:

(ख) इससे संबंधित वार्षिक खाते प्रस्तुत करने की तारीख:

(ii) क्या:

(क) क्या संगम ने विगत में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है। यदि हां, तो कृपया पूरा ब्योरा प्रदान करें:

(ख) उक्त उल्लंघन को केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ/प्रशमित कर दिया गया है, यदि हां तो, सुसंगत आदेश की संख्या और तारीख बताएं:

(ग) संगम को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से मना किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्योरा प्रदान करें:

12. क्या :

(i) संगम ने विगत में कभी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49)/ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था, यदि हां, तो उसके ब्योरे प्रदान करें:

(ii) संगम ने विगत में कभी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49)/ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, यदि हां, तो उसके ब्योरे प्रदान करें:

(iii) क्या संगम का घनिष्ठ संबंध कुछ ऐसी अन्य संगमों या उनकी इकाई(यों) या शाखाओं से है जिन्हें:

(क) रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा देने से इन्कार किया गया हो:

(ख) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से मना किया गया हो:

(ग) निलम्बित है अथवा जिनका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया हो:

(घ) यदि (क) से (ग) तक किसी का भी उत्तर हां है, तो कृपया इसका पूरा विवरण प्रदान करें:

(iv) संगम विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन पहले रजिस्ट्रीकृत थी तथा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है/यह मान लिया गया है कि रजिस्ट्रीकरण रोक दिया गया है, यदि हां, तो इसके ब्योरे प्रदान करें:

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्या: _____

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख : _____

(ग) जमा की गई वार्षिक विवरणी (वर्षवार):

भवदीय,

[मुख्य कृत्यकारी का नाम]

[(चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का नाम स्पष्ट अक्षरों में]

(संगम की मुहर)

घोषणा एवं वचन बंध

- (क) मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सत्य एवं सही है; और
- (ख) मैं वचन देता हूँ कि विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और इसके उपयोग से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के किसी उपबंध और नियम, इनके अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना और आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

स्थान:

तारीख:

[मुख्य कृत्यकारी का नाम]

[(चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का नाम स्पष्ट अक्षरों में]

(संगम की मुहर)

टिप्पण: रजिस्ट्रीकरण के इच्छुक आवेदक को भी पिछले तीन वर्षों का संगम का लेखा-परीक्षित विवरण और कार्यकलाप की रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक है।

प्ररूप एफ.सी.-3ख
[नियम 9(1) (क) देखें]

सं. _____

तारीख _____

दर्पण आईडी*** -

सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कंध),
मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम,
इंडिया गेट, नई दिल्ली-110002

*** टिप्पणी:- दर्पण आईडी का ब्योरा प्रदान करना वैकल्पिक है।

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, (2010 का 42) की धारा 11(2) के अधीन किसी निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले संगम द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की 'पूर्व अनुज्ञा' के लिए आवेदन:
महोदय,

मैं _____ व्यक्ति/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/संगम /कंपनी अधिनियम, 1956/ कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी के रूप में निम्नलिखित ब्योरे प्रस्तुत करता हूँ और अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की पूर्व अनुज्ञा हेतु आवेदन करता हूँ:

1. आवेदक/संगम के ब्योरे :
 - (क) पूरा नाम :
 - (ख) पता :
 - (ग) संगम का टेलिफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) :

- (घ) संगम का ई-मेल पता :
- (ङ) सरकारी वेबसाइट का पता, यदि कोई है :
- (च) मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन और मोबाइल नं. (एसटीडी कोड सहित) :
2. रजिस्ट्रीकरण के ब्योरे :
- (क) अधिनियम का नाम जिसके अधीन संगम रजिस्ट्रीकृत है जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882, कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 आदि :
- (ख) रजिस्ट्रीकरण की संख्या, तारीख और स्थान:
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए):
- (ग) संगम का पैन (स्थाई खाता संख्या):
3. संगम का स्वरूप:
(क) धार्मिक (ख) सांस्कृतिक (ग) आर्थिक (घ) शैक्षिक (ङ) सामाजिक
टिप्पण: यदि धार्मिक संगम है तो उल्लेख करें कि किस से संबंधित है, (क) हिन्दू (ख) सिक्ख (ग) मुस्लिम (घ) ईसाई (ङ) बौद्ध (च) अन्य
4. संगम के मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य :
(संगम के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को दर्शाने वाले संगम के ज्ञापन और/या संगम के अनुच्छेदों के संगत पृष्ठों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :
- 5(क). संगम के मुख्य कृत्यकारियों के ब्योरे :

नाम	पिता/पति या पत्नी का नाम	राष्ट्रीयता	आधार संख्या	पैन संख्या	व्यवसाय	संगम में धारित पद का नाम	कृत्यकारी परिपद /शासकीय निकाय/पदाधिकारियों के अन्य सदस्य(यों) के साथ संबंध	संपर्क ब्योरा: कार्यालय का पता; आवासीय पता; ई-मेल पता; टेलिफोन नं.; मोबाइल नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

* स्तंभ 4 में आधार संख्या का ब्योरा उपलब्ध करवाना वैकल्पिक होगा।

(ख) यदि उपर्युक्त में से कोई विदेशी है (पीआईओ/ओसीआई कार्डधारक सहित) तो उसका ब्योरा:

नाम	जन्म तारीख और स्थान	पासपोर्ट संख्या	विदेश में पता	क्या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं	पीआईओ/ओसीआई कार्ड संख्या, यदि कोई हो	यदि भारत के निवासी हैं, तो वह तारीख जब से भारत में रह रहे हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

6. भुगतान की गई फीस की रकम (रु.) :

7. क्या संगम का कोई वर्तमान मुख्य कृत्यकारी अपने कार्यालय संबंधी कार्यों या व्यक्ति आचरण में निम्नलिखित से संबंधित रहा है:
- (क) न्यायालय द्वारा कभी दोषसिद्ध ठहराया गया है:
- (ख) उसके खिलाफ किसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन लंबित है:
- (ग) संगम की निधियों या विगत में किसी अन्य संगम की निधियों के अपयोजन या दुरुपयोग का दोषी पाया गया है:
- (घ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है:
- (ङ) किसी अन्य संगम का वर्तमान मुख्य कृत्यकारी है:
- (च) किसी ऐसी अन्य संगम का सदस्य या मुख्य कृत्यकारी है जिसके विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 13 या 14 के अधीन कोई आदेश पारित हुआ हो:

टिप्पण: यदि उपर्युक्त (क) से (च) में से किसी का भी उत्तर “हां” में है, तो मामले का पूरा ब्योरा दिया जाए:

8. क्या आवेदक संगम :
- (क) विदेश स्थित संगम या अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत या पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर चुके किसी संगम की शाखा/इकाई/सहयोगी है। यदि हां, तो संगम का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या/ पूर्व अनुज्ञा की संख्या और तारीख प्रस्तुत करें:
- (ख) अधिनियम की धारा 10 लागू होती हो, तो अधिनियम की धारा 11(3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा पारित आदेशों का ब्योरा दें:
- (ग) अधिनियम की धारा 9(घ) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने संबंधी निर्देश मिल चुके हैं। यदि हां, तो संगत आदेश की संख्या एवं तारीख:
- (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) / विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के उपबंधों के अनुसार पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है यदि हां, तो उसका ब्योरे दें :
8. विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए नामनिर्दिष्ट एफसी बैंक खाते के ब्योरे :

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

10. (i) (क) यदि विगत में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की पूर्व अनुज्ञा दी गई है, तो इसकी संख्या और मंजूरी की तारीख:
- (ख) इससे संबंधित वार्षिक खाते प्रस्तुत करने की तारीख:
- (ii) क्या:
- (क) संगम ने विगत में पूर्व अनुज्ञा के बिना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है। यदि हां, तो पूरा विवरण दें :
- (ख) उक्त उल्लंघन को केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ/प्रशमन किया गया है, यदि हां, तो संबंधित आदेश की संख्या और तारीख :
- (ग) संगम को विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से मना किया गया है, यदि हां, तो इससे संबंधित विवरण दें :

11. क्या :

- (i) संगम ने विगत में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) /विदेशीअभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया था, यदि हां तो इससे संबंधित ब्योरा:
- (ii) संगम ने विगत में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49)/ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन पूर्व अनुज्ञा हेतु आवेदन किया था, यदि हां तो इससे संबंधित ब्योरा:
- (iii) संगम का किसी अन्य संगम (नों), या इसकी इकाई(यों) या शाखाओं से घनिष्ठ संपर्क है, जिसे:
- (क) रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा देने से मना कर दिया गया हो:
- (ख) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो:

- (ग) जिनका रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द कर दिया गया हो:
 (घ) यदि उपर्युक्त (क) से (ग) में से किसी का भी उत्तर हां में हो, तो कृपया पूरा विवरण दें।

12. दानकर्ता की विदेशी अभिदाय के प्रति वचनबद्धता संबंधी ब्योरा :

विदेशी अभिदाय का स्वरूप	मूल्य (मुद्रा के नाम सहित)	परियोजना/कार्यकलाप का नाम; परियोजना का संक्षिप्त ब्योरा और बजट के ब्योरे सहित कार्यान्वयन का पता	उद्देश्य (सांस्कृतिक/आर्थिक/शैक्षिक/धार्मिक/सा माजिक)
(1)	(2)	(3)	(4)

13. उन विदेशी स्रोत(तों) का ब्योरा जिनसे विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :

विदेशी स्रोत का नाम	कार्यालय का पता; कार्यालय का ई-मेल पता	व्यष्टि दानकर्ता के मामले में
(1)	(2)	(3)
		पिता/पति या पत्नी का नाम
		राष्ट्रीयता और पासपोर्ट संख्या
		व्यवसाय

भवदीय,

[मुख्य कृत्यकारी का नाम

(चेयरपर्सन/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) स्पष्ट अक्षरों में]

(संगम की मुहर)

घोषणा एवं वचन

(क) मैं, यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सत्य एवं सही है; और

(ख) मैं वचन देता हूँ कि प्राप्त विदेशी अभिदाय और इसके उपयोग से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के किसी उपबंध और इसके अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं या आदेशों का उल्लंघन नहीं होगा।

स्थान:

तारीख:

[मुख्य कृत्यकारी का नाम

(चेयरपर्सन/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) स्पष्ट अक्षरों में]

(संगम की मुहर)

टिप्पण: 50,00,000/-रु. (पचास लाख रुपये) से अधिक विदेशी अभिदाय हेतु पूर्व अनुज्ञा हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से संगम के विगत तीन वर्षों के खातों का लेखा परीक्षित विवरण और क्रियाकलाप रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

प्ररूप एफसी-3ग
[नियम 12(2) देखें]

सं. _____

तारीख _____

दर्पण आईडी***

सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कंध),
मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम,
इंडिया गेट, नई दिल्ली-110002

*** टिप्पणी:- दर्पण आईडी का ब्योरा प्रदान करना वैकल्पिक है।

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, (2010 का 42) की धारा 16 के अधीन किसी निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाली संगम द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने हेतु 'नवीकरण' के लिए आवेदन:

में _____ व्यक्ति/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/संगम /कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी के रूप में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हूँ तथा विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए आवेदन करता हूँ:

1. आवेदक/संगम के ब्योरे :

(क) पूरा नाम:

(ख) पता:

(ग) संगम का टेलिफोन नं. (एसटीडी कोड सहित):

(घ) संगम का ई-मेल पता:

(ङ) अधिकृत बेवसाइट का पता, यदि कोई है:

(च) मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन और मोबाइल नं. (एसटीडी कोड सहित):

2. रजिस्ट्रीकरण के ब्योरे :

(क) अधिनियम जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882, कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 आदि का नाम जिसके अधीन संगम रजिस्ट्रीकृत है:

(ख) रजिस्ट्रीकरण की संख्या, तारीख और स्थान:

(पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए):

(ग) संगम का पैर (स्थाई खाता संख्या):

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम पंजीकरण संख्या और तारीख (नवीकरण के मामले में) – प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाए :

(ङ) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय की रकम :-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	रकम (रु.)
(1)	(2)	(3)
1.		

2.		
3.		

3. संगम का स्वरूप:

(क) धार्मिक (ख) सांस्कृतिक (ग) आर्थिक (घ) शैक्षिक (ङ) सामाजिक

टिप्पण: यदि धार्मिक संगम है तो उल्लेख करें कि किससे संबंधित है (क) हिन्दू (ख) सिक्ख (ग) मुस्लिम (घ) ईसाई (ङ) बौद्ध (च) अन्य

4. संगम के मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य :

(संगम के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को दर्शाने वाले संगम के ज्ञापन और/या संगम के अनुच्छेदों के संबद्ध पृष्ठों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें):

5(क). संगम के मुख्य कार्यकारियों के ब्योरे :

नाम	पिता/पति या पत्नी का नाम	राष्ट्रीयता	आधार संख्या	पैन संख्या	व्यवसाय	संगम में पदनाम	कृत्यकारी परिषद /शासकीय विकास के पदाधिकारियों के अन्य सदस्यों के साथ संबंध	कर्मि संपर्क ब्योरे ; कार्यालय पता; आवासीय पता; ई-मेल पता; लेण्ड लाइन; मोबाइल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

* स्तंभ संख्या 4 में आधार संख्या देना वैकल्पिक है।

(ख) यदि उपर्युक्त में से कोई विदेशी है (पीआईओ/ओसीआई कार्डधारक सहित) तो उसके ब्योरे :

नाम	जन्म तारीख और स्थान	पासपोर्ट संख्या	विदेश का पता	क्या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं	पीआईओ/ओसीआई कार्ड संख्या, यदि कोई हो	यदि भारत के निवासी हैं, तो वह तारीख जब से भारत में रह रहे हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(ग) मूल आवेदन की तुलना में संगम में शामिल करने/हटाने/निष्कासन/त्याग-पत्र/मृत्यु, आदि के कारण बदले गए मुख्य कार्यकारियों के ब्योरे :-

नाम	शामिल करने /हटाना /निष्कासन/ त्याग-पत्र/मृत्यु आदि	प्रभावी तारीख	कारण	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. भुगतान की गई फीस की रकम (रु.) :

7. क्या संगम का कोई वर्तमान मुख्य कृत्यकारी अपने कार्यालय संबंधी कार्यों या व्यक्ति आचरण में निम्नलिखित से संबंधित रहा है:
- (क) न्यायालय द्वारा कभी दोषसिद्ध ठहराया गया है:
- (ख) उसके खिलाफ किसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन लंबित है:
- (ग) संगम की निधियों या विगत में किसी अन्य संगम की निधियों के अपयोजन या दुरुपयोग का दोषी पाया गया है:
- (घ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है:
- (ङ) किसी अन्य संगम का वर्तमान मुख्य कृत्यकारी है:
- (च) किसी ऐसी अन्य संगम का सदस्य या मुख्य कृत्यकारी है जिसके विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 13 या 14 के अधीन कोई आदेश पारित हुआ हो:

टिप्पण: यदि उपर्युक्त (क) से (च) में से किसी का भी उत्तर "हां" में है, तो मामले का पूरा ब्योरा दिया जाए:

8. क्या आवेदक संगम :

- (क) विदेश स्थित संगम या अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत या पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर चुके किसी संगम की शाखा/इकाई/सहयोगी है। यदि हां, तो संगम का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या/पूर्व अनुज्ञा की संख्या और तारीख प्रस्तुत करें:
- (ख) अधिनियम की धारा 10 लागू होती हो, तो अधिनियम की धारा 11(3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा पारित आदेशों का ब्योरा दें:
- (ग) अधिनियम की धारा 9(घ) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने संबंधी निर्देश मिल चुके हैं। यदि हां, तो सुसंगत आदेश की संख्या एवं तारीख:
- (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) / विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के प्रावधानों के अनुसार पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है यदि हां, तो उसका ब्योरे दें :
- 9.(क) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए नामनिर्दिष्ट एफसी बैंक खाते के ब्योरे :

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

■ बैंक के विवरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है

किसी भी परिवर्तन के मामले में, आज्ञापक रूप से एफसी-6 फार्म भरकर सूचित करें।

- 9.(ख) विदेशी अभिदाय के उपयोग हेतु उपयोग किए जा रहे सभी बैंक खातों का ब्योरा (रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन कर रहे आवेदक द्वारा भरा जाए):

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

10. (i) (क) यदि विगत में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की पूर्व अनुज्ञा दी गई है, तो इसकी संख्या और मंजूरी की तारीख:

(ख) इससे संबंधित वार्षिक खाते प्रस्तुत करने की तारीख :

(ii) क्या:

- (क) संगम ने विगत में पूर्व अनुज्ञा के बिना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है। यदि हां, तो पूरा विवरण दें :
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त उल्लंघन को माफ/प्रशमन किया गया है, यदि हां, तो संबद्ध आदेश की संख्या और तारीख:
- (ग) संगम को विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से मना किया गया है, यदि हां, तो इससे संबंधित विवरण दें:
- (घ) संगम को इससे पूर्व निलम्बित/रद्द किया गया है, यदि हां, तो इससे संबंधित विवरण दें:
- (ङ) संगम को इससे पूर्व नवीकरण हेतु इंकार किया गया है:

11. क्या:

(i) संगम ने विगत में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49)/विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया था, यदि हां तो इससे संबंधित ब्योरे :

(ii) संगम ने विगत में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49)/विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन पूर्व अनुज्ञा हेतु आवेदन किया था, यदि हां तो इससे संबंधित ब्योरे :

(iii) संगम का किसी अन्य संगम (नों), या इसकी इकाई(यों) या शाखाओं के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें:

- (क) रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया हो:
- (ख) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से मना कर दिया गया हो:
- (ग) रजिस्ट्रीकरण को निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो:
- (घ) यदि उपर्युक्त (क) से (ग) में से किसी का भी उत्तर हां में हो, तो कृपया पूरा ब्योरा दें ।

भवदीय,

[मुख्य कृत्यकारी का नाम

(चेयरपर्सन/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) स्पष्ट अक्षरों में]

(संगम की मुहर)

घोषणा एवं वचन

(क) मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सत्य एवं सही है; और

(ख) मैं वचन देता हूं कि प्राप्त विदेशी अभिदाय और इसके उपयोग से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के किसी उपबंध और इसके अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं या आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

स्थान:

तारीख:

[मुख्य कृत्यकारी का नाम

(चेयरपर्सन/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) स्पष्ट अक्षरों में]

(संगम की मुहर)

प्ररूप एफ.सी-4
[नियम 17 देखें]

दर्पण आईडी*** _____

सचिव, भारत सरकार
गृह मंत्रालय

विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कंध), मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, नई दिल्ली -110002

विषय: 31 मार्च को समाप्त हो रहे वर्ष हेतु विदेशी अभिदाय का लेखा।

1. एफ.सी.आर.ए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा की संख्या और तारीख:
2. विदेशी अभिदाय प्राप्ति और उपयोग के ब्योरे :
 - (i) नकद/वस्तु के रूप में प्राप्ति विदेशी अभिदाय (मूल्य):
 - (क) वर्ष के आरंभ में अग्रणीत विदेशी अभिदाय रु.
 - (ख) वर्ष के दौरान आय*
 - (i) ब्याज
 - (ii) परियोजनाओं/कार्यकलापों से आय प्राप्ति:

क्र.सं.	परियोजना/कार्यकलाप के नाम और स्थान	परियोजना/कार्यकलाप के आरम्भ होने का वर्ष	वर्ष के दौरान आय (रु.)
1			
कुल			

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय:

- (i) किसी विदेशी स्रोत से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त:
- (ii) स्थानीय स्रोत से:

(घ) कुल विदेशी अभिदाय (क+ख+ग) (रु.)

* अर्थात् विदेशी अभिदाय पर अर्जित ब्याज, अथवा विदेशी अभिदाय से प्राप्त अन्य आय, उदाहरणतः विदेशी अभिदाय से सृजित आस्थियों के विक्रय संबंधी आय, अथवा वर्ष के दौरान उस पर ब्याज, परियोजनाओं/कार्यकलापों से आय।

(ii) (क) प्राप्त विदेशी अभिदाय का दाता का ब्योरा :

क्र. सं.	दाता(ओं)	संस्थागत /	दाता का ब्योरा :	किस उद्देश्य (यों) के	विशिष्ट	रकम (रु.)

	का नाम	व्यक्ति	कार्यालय पता; ई – मेल पता; वेबसाइट का पता	लिए प्राप्त किया गया (सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक)	कार्यकलाप/ परियोजना	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(ख) सभी विदेशी अभिदाय अनुदानों की संचयी उद्देश्य-वार प्राप्त रकम:

3. विदेशी अभिदाय के उपयोग के ब्योरे :

(क) उन कार्यकलापों/परियोजनाओं के ब्योरे जिनके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त और उपयोग किया गया (रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना/ कार्यकलाप का नाम	पता/स्था न	विगत शेष		वर्ष के दौरान प्राप्ति		उपयोगकृत		शेष	
			नकद	वस्तु	नकद	वस्तु	नकद	वस्तु	नकद	वस्तु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(ख) विदेशी अभिदाय के उपयोग के ब्योरे :

(i) संगम के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार परियोजनाओं के लिए कुल उपयोग** (रु.)

(ii) विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 5 में यथानिहित कुल प्रशासनिक व्यय (रु.)

** अभिपुष्टि की जाती है कि विदेशी अभिदाय के उपयोग से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) में उल्लिखित उपबंधों और विशेषकर अधिनियम की धारा 9 और धारा 12 में उल्लिखित उपबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से -

(क) भारत की सम्प्रभुता और एकता पर; अथवा

(ख) देश की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों पर; अथवा

(ग) जनहित; अथवा

(घ) किसी विधान मंडल के निर्वाचन की स्वतंत्रता अथवा निष्पक्षता; अथवा

(ङ) किसी विदेशी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों; अथवा

(च) धार्मिक, जातीय, सामाजिक, भाषायी अथवा क्षेत्रीय समूहों, जातियों अथवा समुदायों के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) नई परिसंपत्तियों की कुल खरीद (रु.)

क्र.सं.	संगम के नाम पर कार्यकलाप	ब्योरा	उद्देश्य	कुल (रु.)
(i)	चल संपत्तियों का सृजन			
(ii)	अचल संपत्तियों का सृजन			
	कुल			

(घ) अन्य संगमों को विदेशी अभिदाय का अंतरण

क्र. सं.	संगम का नाम	तारीख	उद्देश्य	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	कुल			

(ड.) वर्ष के दौरान कुल उपयोग (रु.) (ख+ग+घ):

4. अप्रयुक्त विदेशी अभिदाय के ब्योरे :

(i) आवधिक जमा में निवेश किया गया कुल विदेशी अभिदाय (रु):

क्र.सं.	विवरण	कुल (रु. में)
(i)	आरंभिक सावधि जमा शेष	
(ii)	वर्ष के दौरान सावधि जमा	
(iii)	कम: विगत सावधि जमा की प्राप्ति	
	सावधि जमा का अंत शेष	

(ii) वर्ष के अंत में नकदी रुपये / बैंक में अप्रयुक्त विदेशी अभिदाय का शेष (रुपये में):

(क) उपलब्ध नकदी:

(ख) विदेशी अभिदाय नामनिर्दिष्ट बैंक खाते में:

(ग) उपयोग बैंक खातों में:

5. प्रमुख कृत्यकारी / कार्यरत/संबद्ध के रूप में विदेशियों के ब्योरे :

6. दो वर्ष से अधिक समय तक अप्रयुक्त भूमि और भवनों के ब्योरे :

क्र.सं.	भूमि और भवन की अवस्थिति	अर्जन वर्ष	अर्जन का उद्देश्य	अप्रयुक्तता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. (क) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए नामनिर्दिष्ट एफ.सी. बैंक खातों के ब्योरे (समाप्त हो रहे वर्ष के 31 मार्च तक)

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	फोन नं.	ई-मेल	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं.	खाता आरंभ होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(ख) विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए नामनिर्दिष्ट सभी उपयोग बैंक खातों के ब्योरे (समाप्त हो रहे वर्ष के 31 मार्च तक)

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	फोन नं.	ई-मेल	आई.एफ.एस. सी. कोड	खाता सं.	खाता आरंभ होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान किया गया उपर्युक्त विवरण सत्य तथा सही है।

मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010, नियमों, के उपबंधों और समय-समय पर इसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं/आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ है और विदेशी अभिदाय उस उद्देश्य(यों) के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संगम को रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति प्रदान की गई थी।

स्थान:

तारीख:

[मुख्य कृत्यकारी का नाम

(चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/[मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक का नाम) स्पष्ट अक्षरों में]

(संगम की मुहर)

चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

मैंने/हमने, ----- (संगम का नाम और उसका पूरा पता जिसमें राज्य, जिला और पिन कोड, यदि रजिस्ट्रीकृत सोसायटी है तो उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या, रजिस्ट्रीकरण के राज्य का उल्लेख हो) के 31 मार्च ----- को समाप्त वर्ष के लिए खातों की लेखा परीक्षा की है और सभी संबंधित पुस्तिकाओं और वाउचरों की जांच की है तथा लेखा परीक्षित खाते के अनुसार यह प्रमाणित करता हूँ कि:

- (i) वर्ष के प्रारम्भ में प्रतिभूतियों के रूप में अग्रणीत निवेश रुपये था -----;
- (ii) संगम ने वित्त वर्ष.....के दौरान.....रुपये का विदेशी अभिदाय प्राप्त किया था।
- iii) संगम द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान.....विदेशी अभिदाय पर प्राप्त ब्याज और विदेशी अभिदाय अथवा उस पर.....रुपये का ब्याज प्राप्त किया गया था।
- (iv) संगम के पास वित्त वर्ष.....की समाप्ति पर अप्रयुक्त शेष विदेशी अभिदायरुपये था।
- (v) प्रमाणित किया जाता है कि संगम ने विदेशी अभिदाय विनियमन नियम, 2011 के नियम 17 के साथ पठित विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम, 2010 (वर्ष 2010 का 42) की धारा 19 में निर्धारित तरीके से विदेशी अभिदाय के खातों और उससे संबंधित रिकार्डों का अनुरक्षण किया है।
- (vi) इस प्रमाणपत्र में और संलग्न तुलनपत्र में प्रदान की गई जानकारी और प्राप्ति एवं भुगतान के ब्योरे सही है, क्योंकि उसकी मैंने/हमने जांच कर ली है।
- (vii) संगम ने विदेशी अभिदाय अधिनियम (विनियमन), 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण/प्रदान की गई पूर्व अनुमति के उद्देश्य (यों) हेतु विदेशी अभिदाय का उपयोग किया है।

स्थान:

तारीख:

(चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर)

(मुहर, पता एवं रजिस्ट्रीकरण संख्या)

प्ररूप एफ सी - 5
(नियम 24 (1) देखें)

दर्पण आई डी*** _____

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफसीआरए स्कंध),
मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम,
इंडिया गेट, नई दिल्ली-110002

*** टिप्पणी:- दर्पण आईडी का ब्योरा प्रदान करना वैकल्पिक है।

विषय: विदेशी अभिदाय किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत/गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अन्तरित करने अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन।

महोदय,

मैं _____, संगम की ओर से, निम्नलिखित विवरण के अनुसार रजिस्ट्रीकृत/अरजिस्ट्रीकृत अन्य व्यक्तियों को विदेशी अभिदाय अन्तरित करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 7 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता हूँ:

1. आवेदक/अन्तरक संगम का एफ.सी.आर.ए. रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति सं. और तारीख:
2. प्राप्तकर्ता / अन्तरक (यदि संगम है) के ब्योरे :

- (i) पूरा नाम:
- (ii) संपर्क विवरण
- (क) पता:

(ख) संगम का अधिकृत टेलिफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) :

(ग) अधिकृत ई-मेल पता:

(घ) मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन नं. (एसटीडी कोड सहित):

(iii) संगम का पैन नं. (स्थाई खाता संख्या)

(iv) दर्पण आईडी (वैकल्पिक)

ख. प्राप्तकर्ता/अन्तरक (यदि संगम है) के रजिस्ट्रीकरण के ब्योरे :

(क) उन अधिनियमों जैसे सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, इंडियन ट्रस्ट अधिनियम, 1882, कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 आदि का नाम जिसके अन्तर्गत संगम रजिस्ट्रीकृत है:

- (ख) रजिस्ट्रीकरण सं., तारीख और रजिस्ट्रीकरण का स्थान:
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति की स्व—प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)

3. प्राप्तकर्ता/अन्तरक (यदि संगम है) के ब्योरे :

- (i) पूरा नाम:
- (ii) संपर्क ब्योरा

(क) पता:

(ख) व्यक्ति का अधिकृत टेलिफोन नं. (एस टी डी कोड सहित):

(ग) अधिकृत ई-मेल पता:

- (घ) व्यक्ति का टेलिफोन और मोबाइल नं. (एसटीडी कोड सहित):
 (iii) व्यक्ति का पैन नं. (स्थाई खाता संख्या)
 (iv) आधार नम्बर (वैकल्पिक)

4. अंतरित किए जाने वाले विदेशी अभिदाय की रकम:

5. विदेशी अभिदाय के प्रस्तावित अन्तरण का उद्देश्य

6. प्राप्तकर्ता के बैंक के ब्योरे और खोला गया विशिष्ट नामनिर्दिष्ट एफ.सी.आर.ए खाता जिसमें विदेशी अभिदाय अंतरित किया जाना प्रस्तावित है:

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं.	पता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपर्युक्त जानकारी सत्य और सही है।

[मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर
 (चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक का नाम) स्पष्ट अक्षरों में
 (संगम की मुहर)]

टिप्पण:

(i) प्रत्येक आवेदन के साथ अन्तरक संगम की ओर से इस बारे में एक घोषणा संलग्न होना चाहिए कि--

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित अन्तरण रकम उसके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय के कुल मूल्य के दस प्रतिशत से कम है;

(ख) अंतरक विदेशी अभिदाय की कोई भी रकम का अन्तरण तब तक नहीं करेगा जब तक केन्द्रीय सरकार ऐसे अन्तरण का अनुमोदन नहीं कर दे।

(ii) अंतरक और प्राप्तकर्ता दोनों अन्तरित विदेशी अभिदाय का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के जिम्मेदार होंगे तथा यह अन्तरण अंतरक और प्राप्तकर्ता द्वारा जमा किए जाने वाले विवरण फार्म एफ सी-4 में दर्शाया जाएगा।

प्ररूप एफ.सी.-6क
 [नियम 9 और 17क देखें]

दर्पण आईडी*** _____

सचिव, भारत सरकार,
 गृह मंत्रालय,
 विदेशी प्रभाग (एफसीआरए स्कंध),
 मेजर ध्यान चन्द्र नेशनल स्टेडियम,
 इंडिया गेट, नई दिल्ली-110002

*** टिप्पणी:- दर्पण आईडी का ब्योरा प्रदान करना वैकल्पिक है।

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2011 के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति प्रदान की गई संगम के देश के भीतर नाम/पता बदलने के विषय में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2010 (2010 का 42) के नियम 9 और नियम 17क के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को सूचना:

महोदय,

मैं व्यक्ति/संगम/कंपनी के रूप में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17क के अधीन यथा अपेक्षित निम्नलिखित सूचना देता हूं:

संगम के देश के भीतर नाम और/या पते में परिवर्तन

1. संगम का एफसीआरए पंजीकरण/पूर्व अनुमति संख्या और तारीख:
2. संगम का अधिकृत टेलिफोन नं.:
3. संगम का ई-मेल पता:
4. संगम के मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन/मोबाइल नं.:

(आवेदक द्वारा देश के भीतर संगम के नाम और/या पते के परिवर्तन की सूचना प्रदान करते हुए भरा जाए)

(i) स्थानीय/संबंधित प्राधिकरण में अभिलिखित संगम का संशोधित/परिवर्तित नाम:

(ii) स्थानीय संबंधित प्राधिकरण में अभिलिखित संगम का देश के भीतर संशोधित/परिवर्तित पता

(स्थानीय/संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधन की स्व-प्रमाणित प्रति)

मैं पुष्टि करता हूं कि प्रदान की गई उपर्युक्त सूचना सत्य और सही है और:

(क) संगम का देश में नाम और/या पता संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के पास सम्यक् रूप से अभिलिखित है।

(ख) परिवर्तन प्रभावी होने से पूर्व शासी निकाय का संकल्प पारित किया गया है।

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 12 की उप-धारा (4) के उल्लंघन स्वरूप कोई भी प्रमुख सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

[मुख्य कृत्यकारी
(चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का नाम स्पष्ट अक्षरों में]

(संगम की मुहर)

प्ररूप एफसी-6ख
[नियम 9 और 17क देखें]

दर्पण आईडी ***

सचिव,

भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफसीआरए स्कंध)
मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम,

इंडिया गेट, नई दिल्ली- 110002

*** टिप्पणी:- दर्पण आईडी का ब्योरा प्रदान करना वैकल्पिक है।

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति प्राप्त संगम के संबंध में स्वरूप, लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा स्थानीय/संबंधित प्राधिकरणों के साथ रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन के बारे में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 9 और नियम 17क के अधीन केंद्र सरकार को सूचना:

महोदय,

मैं, व्यक्ति/संगम/कंपनी के रूप में एतद्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17क के अधीन यथापेक्षित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ:

उक्त अधिनियम के अधीन जिस संगम का पंजीकरण किया गया/पूर्व अनुमति दी गई है उसके संबंध में स्वरूप, लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा स्थानीय/संबंधित प्राधिकरणों के साथ रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन

1. संगम का एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति संख्या और तारीख
2. संगम का अधिकृत टेलिफोन संख्या नं.
3. संगम का ई-मेल पता
4. संगम के मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन/मोबाइल नं.

(विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन जिस संगम का रजिस्ट्रीकरण किया गया है/पूर्व अनुमति दी गई है उसके संबंध में स्वरूप, लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा स्थानीय/संबंधित प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण के संबंध में सूचना प्रार्थी द्वारा भरी जाए)

नव स्वरूप, लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा स्थानीय/संबंधित प्राधिकरणों के साथ रजिस्ट्रीकरण:

- (i) संगम का संशोधित/परिवर्तित स्वरूप:
- (ii) संगम के संशोधित/परिवर्तित/लक्ष्य और उद्देश्य:
- (iii) स्थानीय/संबंधित प्राधिकरणों के साथ संशोधित/परिवर्तित रजिस्ट्रीकरण संख्या:

मैं यह पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है: तथा

- (क). परिवर्तन करने से पहले शासी निकाय का संकल्प पारित किया गया है:
- (ख). संगम का स्वरूप, लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा स्थानीय/संबंधित प्राधिकरणों के साथ रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास सम्यक् रूप से अभिलिखित कर दिया गया है:
- (ग). विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 12 की उपधारा (4) के उल्लंघन में किसी भी मुख्य सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई है।

(जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

[मुख्य कृत्यकारी
(चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का नाम स्पष्ट अक्षरों में]

(संगम की मुहर)

प्ररूप एफसी-6ग
[नियम 9 और 17क देखें]

दर्पण आईडी _____

सचिव,

भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफसीआरए स्कंध)
मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम,
इंडिया गेट, नई दिल्ली- 110002

*** टिप्पणी:- दर्पण आईडी का ब्योरा प्रदान करना वैकल्पिक है।

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण /पूर्व सूचना प्राप्त संगम के संबंध में नामनिर्दिष्ट एफसी प्राप्ति और उपयोग बैंक खाते में परिवर्तन के संबंध में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 9 और नियम 17क के अधीन केंद्रीय सरकार को सूचना:

महोदय,

मैं,व्यक्ति/संगम /कंपनी के रूप में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17क के अधीन यथापेक्षित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूं:

नामनिर्दिष्ट एफसी प्राप्ति और उपयोग बैंक खाते के नामनिर्दिष्ट बैंक/शाखा/बैंक खाते में परिवर्तन
--

1. संगम का एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति संख्या और तारीख
2. संगम का अधिकृत टेलिफोन नं.
3. संगम का ई-मेल पता
4. संगम के मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन/मोबाईल नं.

(विदेशी अभिदाय की प्राप्ति/उपयोग के संबंध में नामनिर्दिष्ट एफसी प्राप्ति और उपयोग बैंक खाते के नामनिर्दिष्ट बैंक/बैंक की शाखा/खाता संख्या में परिवर्तन के संबंध में सूचना आवेदक द्वारा भरी जानी है)

विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग के संबंध में संगम के नए नामनिर्दिष्ट एफसी प्राप्ति और उपयोग बैंक खाते के ब्योरे :

बैंक का नाम	शाखा का पता	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
1	2	3	4	5	6

(परिवर्तन के संबंध में मौजूदा बैंक और नए बैंक के पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

मैं एतद्वारा यह पुष्टि करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है तथा;

(क) परिवर्तन करने से पहले शासी निकाय का संकल्प पारित किया गया है:

(ख) नामनिर्दिष्ट एफसी प्राप्ति और उपयोग बैंक खाते में परिवर्तन के संबंध में बैंक प्राधिकारियों को सम्यक् रूप से सूचित किया गया है:

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 12 की उपधारा (4) के उल्लंघन किसी भी मुख्य सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई है।

(जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

[मुख्य कृत्यकारी

(चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का नाम स्पष्ट अक्षरों में]

(संगम की मुहर)

प्ररूप एफसी-6घ
[नियम 9 और 17क देखें]

दर्पण आईडी***.....

सचिव,

भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफसीआरए स्कंध)
मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम,
इंडिया गेट, नई दिल्ली-110002

*** टिप्पणी:- दर्पण आईडी का ब्योरा प्रदान करना वैकल्पिक है।

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण /पूर्व सूचना प्राप्त संगम के संबंध में अतिरिक्त एफसी उपयोग खाता खोलने के बारे में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 9 और नियम 17क के अधीन केंद्रीय सरकार को सूचना:

महोदय,

मैं,व्यक्ति/संगम/कंपनी के रूप में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17क के अधीन यथापेक्षित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूं:

विदेशी अभिदाय के उपयोग के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त एफसी-उपयोग बैंक खाता खोलना
--

1. संगम का एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति संख्या और तारीख
2. संगम का अधिकृत टेलिफोन नं.
3. संगम का ई-मेल पता
4. संगम के मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन/मोबाइल नं.

(विदेशी अभिदाय के उपयोग के प्रयोजनार्थ उपयोग बैंक खाता (खाते) खोलने की सूचना आवेदक द्वारा दी जाए)

बैंक का नाम	शाखा का पता	ई-मेल	आईएफएससी कोड	उपयोग खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
1	2	3	4	5	6

मैं यह पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है तथा;

(क) अतिरिक्त एफसी उपयोग खाता खोलने से पहले शासी निकाय का संकल्प पारित किया गया है;

(ख) अतिरिक्त एफसी उपयोग खाता खोलने के संबंध में बैंक प्राधिकारियों को विधिवत् सूचित किया गया है;

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 12 की उपधारा (4) के उल्लंघन में किसी भी मुख्य सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई है।

(जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

[मुख्य कृत्यकारी
(चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का नाम स्पष्ट अक्षरों में
(संगम की मुहर)

प्ररूप एफसी-6ड.

[नियम 9 और 17क देखें]

दर्पण आईडी***

सचिव,

भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफसीआरए स्कंध)
मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम,
इंडिया गेट, नई दिल्ली- 110002

*** टिप्पणी:- दर्पण आईडी का ब्योरा प्रदान करना वैकल्पिक है।

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व सूचना प्राप्त संगम के संबंध में मुख्य सदस्यों में किए गए परिवर्तन के बारे में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 9 और नियम 17क के अधीन केंद्रीय सरकार को सूचना:

महोदय,

मैं,व्यक्ति/संगम /कंपनी के रूप में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17क के अधीन यथापेक्षित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ:

संगम के पचास प्रतिशत अथवा उससे अधिक मूल मुख्य सदस्यों में परिवर्तन

1. संगम का एफसीआरए पंजीकरण/पूर्व अनुमति संख्या और तारीख
2. संगम का अधिकृत टेलिफोन नं.
3. संगम का ई-मेल पता
4. संगम के मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन/मोबाइल नं.

आवेदक द्वारा संगम के पचास प्रतिशत अथवा उससे अधिक मूल मुख्य सदस्यों में किए गए परिवर्तन के संबंध में सूचना भरी जाए विदेशी अभिदाय (अधिनियम) अधिनियम, 2010 के अधीन संगम के रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति प्राप्त करने/रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए आवेदन में रिपोर्ट के अनुसार, मूल मुख्य सदस्यों में पचास प्रतिशत या उससे अधिक परिवर्तन के पश्चात संगम के सभी मुख्य सदस्यों के ब्योरे

नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	राष्ट्रीयता	आधार संख्या *	पैन संख्या	व्यवसाय	संगम में धारित पद का नाम	कृत्यकारी परिषद/शासी निकाय के अन्य सदस्यों /पदाधिकारियों के साथ संबंध	संपर्क विवरण: कार्यालय का पता; आवासीय पता, ई-मेल पता, टेलीफोननं., मोबाइल नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

*टिप्पणी:- स्तंभ (4) में आधार सं. के ब्योरे प्रस्तुत करना वैकल्पिक है

यदि उपर्युक्त में से कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिक (पीआईओ/ओसीआई कार्ड धारक सहित) है तो उसके ब्योरे :

नाम	जन्म तारीख एवं स्थान	पासपोर्ट सं.	विदेश का पता	क्या व्यक्ति भारतीय मूल का है	पीआईओ/ओसीआई कार्ड संख्या, यदि कोई है	यदि भारत में निवास है तो, भारत में किस तारीख से रह रहा है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मैं यह पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है; तथा

(क) परिवर्तन करने से पहले शासी निकाय का संकल्प पारित किया गया है;

(ख) विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 12 की उपधारा (4) के उल्लंघन में किसी भी मुख्य सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई है।

(जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

[मुख्य कृत्यकारी (चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कृत्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का नाम,
स्पष्ट अक्षरों में
(संगम की मुहर)]

[फा. सं. II/21022/23(52)/2014-एफसीआरए-III]

अनिल मलिक, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में तारीख 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 349 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात तारीख 12 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 292(अ) तथा तारीख 14 दिसंबर, 2015 की सा.का.नि. 966(अ) द्वारा उनका संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2019

G.S.R.199(E). — In exercise of the powers conferred by section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, -

(i) in rule 2, in sub-rule 1, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

“(aa) “bank account” means a bank account in a core banking compliant bank, which is integrated with the Public Financial Management System (PFMS)”;

(ii) in rule 6, after the word “Government”, the following words shall be inserted, namely:-

“by uploading details electronically online”;

(iii) in rule 7, in sub-rule (1), after the word “apply”, the following words shall be inserted, namely:-

“electronically online”;

(iv) in rule 9, -

(a) in sub-rule (1), -

(A) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) An application for certificate of registration by a person under sub-section (1) of section 11, for acceptance of foreign contribution shall be made electronically online in Form FC-3A and an application for obtaining prior permission by a person under sub-section (2) of section 11, for acceptance of foreign contribution, shall be made electronically online in Form FC-3B.”;

(B) in clause (e), for the letters and figure “FC-6”, the letters and figure “FC-6D” shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), in clause (e), for the letters and figure “FC-6”, the letters and figure “FC-6D” shall be substituted;

(c) in sub-rule (4), -

(A) in clause (a), for the letters, figures, brackets and words “Rs.1000/- (One Thousand only)”, the letters, figures, brackets and words “Rs.3000/- (Three Thousand rupees only)” shall be substituted;

(B) in clause (b), for the figures, brackets and words “2000/- (Two Thousand only)”, the letters, figures, brackets and words “Rs.5000/- (Five Thousand rupees only)” shall be substituted;

(v) in rule 12, -

(a) in sub-rule (2), for the words, letters and figures “to the Central Government in Form FC-3”, the words, letters and figures “to the Central Government electronically online in Form FC-3C” shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), for the letters, figures, brackets and words “Rs.500/- (Five Hundred only)”, the letters, figures, brackets and words “Rs.1500/- (One Thousand Five Hundred rupees only)” shall be substituted;

(c) in sub-rule (8),-

- (A) after the words “requisite fee”, the letters, figures, brackets and words “and with late fee of Rs.5000/- (Five Thousand rupees only)” shall be inserted;
- (B) for the words “four months” the words “one year” shall be substituted;
- (vi) in rule 17A, -
- (a) the words, letters and figure “in Form FC-6” shall be omitted;
- (b) in item (i), after the word “Act”, the words, letters and figures “in Form FC-6A” shall be inserted;
- (c) in item (ii), after the word “authorities”, the words, letters and figures “in Form FC-6B” shall be inserted;
- (d) in item (iii), -
- (A) after the word “number”, the words, letters and figures “in Form FC-6C” shall be inserted;
- (B) the word “and” occurring at the end shall be omitted;
- (e) after item (iii), the following item shall be inserted, namely:-
- “(iiia) bank and/or branch of the bank for the purpose of utilising the foreign contribution after it has been received in Form FC-6D; and ”;
- (f) in item (iv), after the word “Act”, the words, letters and figures “in Form FC-6E” shall be inserted;
- (vii) for forms FC-1 to FC-6, the following forms shall be substituted, namely:-

“FORM FC-1
[See rules 6, 17
and 18]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing)
Major Dhyan Chand National Stadium,
India Gate, New Delhi-110002

Subject: Intimation to the Central Government of receipt of foreign contribution by way of gift from relative by an individual / Foreign Contribution in the form of Articles/ Securities/ by a candidate for Election [section 21 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010)]:

Sir,

I, as an individual/ association/ company registered under Companies Act 1956/ Companies Act 2013, hereby, gives intimation of:

Receipt of foreign contribution by way of gift from relative	Yes/ No
Foreign Contribution (Articles) Account	Yes/ No
Foreign Contribution (Securities) Account	Yes/ No
Receipt of foreign contribution by a candidate for Election	Yes/ No

Part A

(To be filled by applicant giving intimation of receipt of foreign contribution by way of gift from relative)

1. Name of the recipient in full (*in block letters*):
2. Date of birth:
3. Name of Father/Spouse:
4. Contact details of the recipient:

- (a) Address:
 (b) Telephone and mobile number with STD code:
 (c) e-mail address:
 5. Permanent Account Number (PAN) of the recipient in India:
 6. Aadhaar Number of the recipient in India (Optional):
 7. Amount of foreign contribution received, if it exceeds one lakh rupees or equivalent in a financial year:
 8. Number of the Bank Draft or telegraphic transfer or other communication including the Bank Details:
 9. Details of the relative:
 (a) Name:
 (b) Nationality:
 (c) Country of residence:
 (d) e-mail address:
 (e) Passport Number:
 (f) Relationship with the recipient:

DECLARATION

I hereby, declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the applicant
(Name, in block letters)

Part B

[To be filled by applicant giving intimation about Foreign Contribution (Articles) Account/ Foreign Contribution (Securities) Account]

- 1.** Details of the applicant:
 (i) Name in full:
 (ii) Contact Details:
 (a) Address:
 (b) Official Telephone No.(with STD code):
 (c) Official e-Mail address:
 (iii) FCRA Registration/Prior Permission number and date, if any:
 (iv) PAN (Permanent Account Number) of the Association:
 (v) Aadhaar Number of the recipient in India (Optional):

- 2.** Details of articles:

Date	Name of article (s)	Description	Name and address of the person from whom received	Purpose	Quantity	Approximate Value (Rs.)	Mode of Utilisation/ Disposal (if disposed to whom)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- 3.** Details of securities:

Date	Nature of security received	Name and Address of the person from whom received	Nominal Value (Rs.)	Market value (Rs.)	Reserve Bank of India details	Bank of permission	Mode of Utilisation/ Disposal (if disposed to whom)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

DECLARATION

I hereby, declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the Applicant
(Name of the applicant *in block letters*)
Official Seal

Part C

[To be filled for giving intimation to the Central Government of Receipt of Foreign Contribution received by a candidate for Election [section 21 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010)]

1. Name in full:
2. Date of birth:
3. Name of father/spouse:
4. Contact details:
 - (a) Address:
 - (b) e-mail address:
 - (c) telephone and mobile number (with STD code):
5. Aadhaar Number of the recipient in India (Optional):
6. Date on which duly nominated as a candidate for election to a Legislature and particulars of Legislature:
(See section 21 of the Act):
7. Details of foreign contribution received within one hundred and eighty days immediately preceding the date on which duly nominated as a candidate for election:

Foreign contribution received as cash / article / securities	Value (Rs.)	Purpose	Donor name, address and e-mail address	Individual Donor nationality	Relationship with donor	Utilisation details
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the candidate
(Name, *in block letters*)

FORM FC-2

[See rule 7(1)]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing)
Major Dhyan Chand National Stadium,
India Gate, New Delhi-110002

Subject: Application for seeking prior permission of the Central Government to accept foreign hospitality.

[**Note:** For foreign hospitality availed in case of emergent medical aid situation, intimation to be given on plain paper to the Secretary, Ministry of Home Affairs at the address mentioned in FORM FC-2, within sixty days of such receipt of foreign hospitality.]

1. Name in full:
2. Date of Birth:
3. Name of father/husband:
4. PAN Number. :
5. Aadhaar Number (Optional):
6. Contact details:
 - (a) Address:
 - (b) Telephone and mobile number with STD code:
 - (c) e-mail address:
7. Passport particulars (*if already in possession*):
8. Status: - (a) Member of Legislature (b) Office bearer of a political party (c) Judge of Supreme Court/High Court (d) Government servant (e) Employee of a Corporation or any other Body owned or controlled by Government:
9. Details of hospitality proposed to be availed:

Names of cities/countries for which hospitality is to be accepted	Duration of stay From/To	Purpose of visit	Nature of hospitality to be accepted		Duration of hospitality to be accepted	Approximate expenditure to be Incurred on hospitality (Rs.)	Remarks
			In Cash	In kind			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

10. Hospitality availed during the last three years: [Yes/No]

(a) If yes, *details thereof*:

Names of cities/countries for which hospitality was accepted	Duration of stay From/To	Purpose of visit	Nature of hospitality accepted		Duration of hospitality accepted	Approximate expenditure incurred on hospitality (Rs.)	Whether MHA Permission was granted (Y/N)	Remarks
			In Cash	In kind				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

11. Whether acceptance of foreign hospitality was ever denied to the applicant, if yes, *details thereof*:

12. Particulars of host(s):

Nature of Host – Individual/organisation	Full Name	Nationality/Passport Number	Profession	Address	e-mail address	Fixed line telephone Number (with code); Mobile Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

13. Nature of connection/relationship with the host and/or foreign source extending the hospitality:

14. Letter from the host regarding the details of hospitality to be extended and Recommendation Letter from the organisation to which the applicant belongs are to be enclosed.

DECLARATION AND UNDERTAKING

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the applicant

(Name, in block letters)

FORM FC – 3A

[See rule 9 (1) (a)]

No _____

Date _____

Darpan ID*** _____

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

Major Dhyan Chand National Stadium,

India Gate, New Delhi-110002

***Note: - Furnishing of Darpan ID shall be optional.

Subject: Application for 'registration' under sub-section (1) of section 11 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) for the acceptance of foreign contribution by an Association having definite cultural, economic, educational, religious or social programme:

Sir,

I _____, as an individual/ Hindu Undivided Family / association / company registered under Companies Act 1956 / Companies Act, 2013, furnish the following details and apply for approval of the Central Government for the acceptance of foreign contribution under sub-section (1) of section 11 of the Act for registration.

1. Expenditure incurred in last 3 years towards activities for which registration applied for [See Section 12(4)(b) of the Act] : (Rs):
2. Details of the applicant/Association:
 - (a) Name in full:
 - (b) Address:
 - (c) Telephone No. of the Association (with STD code):
 - (d) e-mail address of the association:
 - (e) official Website address, if any:
 - (f) Telephone and mobile (with STD code) of the Chief Functionary:
3. Details of registration:
 - (a) Name of the Act like Societies Registration Act, 1860, Indian Trust Act, 1882, Companies Act, 1956 / Companies Act, 2013, etc under which the association is registered:
 - (b) Number, date and place of Registration:

(self-certified copy of the registration certificate to be enclosed):

(c) PAN (Permanent Account Number) of the Association:

4. Nature of Association:

(a) religious (b) cultural (c) economic (d) educational (e) social

Note: If a religious Association, state whether (a) Hindu (b) Sikh (c) Muslim (d) Christian (e) Buddhist (f) Others.

5. Main aim(s) and object(s) of the Association

(enclose self-certified copy of relevant pages of the Memorandum of Association and/or the Articles of Association, showing aims and objects of association):

6. (a) Details of the key functionaries of the Association:

Name	Name of father/spouse	Nationality	Aadhaar Number*	PAN	Occupation	Designation in the Association	Relationship with other Member(s) of the Executive Council / Governing body / Office bearers	Contact Details: Office Address; Residential Address; e-mail address; Landline no.; mobile no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

*Note: - Furnishing of details of Aadhaar number in column (4) shall be optional.

(b) If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof:

Name	Date and Place of birth	Passport number	Address in the foreign country	Whether a person of Indian origin	PIO/OCI Card Number, if any	If resident in India, date from which residing in India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

7. Amount of fee paid (Rs.):

8. Whether any current Key functionary of the Association has, in the discharge of his/her official functions or private conduct:

(a) been convicted by any court of law:

(b) under prosecution for any offence pending against him/her:

(c) been found guilty of diversion or mis-utilisation of funds of the Association or any other Association in the past:

(d) has been prohibited from accepting foreign contribution:

(e) is a current Key functionary of any other association:

(f) is a current Key functionary of any other association against whom an order under sections 13 or 14 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) has been passed:

Note: If any of the replies to (a) to (f) above is "yes", then full details of the case must be given.

9. Whether the applicant Association:

(a) is a branch / unit / associate of a foreign based organisation or another association already

registered or granted prior permission under the Act. If so, name, address of the organization and registration number/ prior permission number and date:

- (b) attracts section 10 of the Act and if so, details of the order passed by the Central Government under sub-section (3) of section 11 of the Act:
- (c) has been directed in terms of section 9 (d) of the Act to seek prior permission by the Central Government. If so, the number and date of the relevant order:
- (d) had earlier been proceeded against as per provision of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976)/ the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if so, the details thereof:
10. Details of designated FC bank account for receipt of Foreign Contribution:

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	e-mail	IFSC Code	Account No.	Date of Opening Account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

11. (i) (a) If granted prior permission in past to receive foreign contribution, number and date of sanction:
 (b) Date of submission of yearly accounts thereof:
- (ii) Whether:
- (a) the Association has received foreign contribution without prior permission in the past. If so, furnish full particulars:
- (b) said violation has been condoned/ compounded by the Central Government, if so, the number and date of the relevant order:
- (c) Association has been prohibited from accepting foreign contribution, if so, details thereof:
12. Whether:
- (i) the Association had applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) / the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so details thereof:
- (ii) the Association had applied for prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) / the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so, details thereof:
- (iii) the Association has close links with any another Association(s), or its unit(s) or branches, which has been:
- (a) refused registration / prior permission:
- (b) prohibited from accepting foreign contribution:
- (c) suspended or whose registration has been cancelled:
- (d) if answer to any of (a) to (c) is yes, please give full particulars:
- (iv) the association was already registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and the registration is cancelled/ deemed to have been ceased, if so details thereof:
- (a) Registration No. _____
- (b) Date of Registration _____
- (c) Annual Returns submitted (year-wise):

Yours faithfully,

[Name of the Chief Functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) in block letters]

(Seal of the Association)

Declaration and Undertaking

- (a) I hereby declare that the information furnished above is true and correct; and
- (b) I undertake that the receipt of foreign contribution and its utilisation shall not be violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and the rules, notifications or orders issued thereunder from time to time;

Place:

Date:

[Name of the Chief Functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the Organisation/Association)

Note: Applicants seeking registration are also to enclose audited statement of accounts and activity report of the association for the last three years.

FORM FC – 3B

[See rule 9 (1) (a)]

No _____

Date _____

Darpan ID*** _____

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,
 Foreigners Division (FCRA Wing)
 Major Dhyan Chand National Stadium,
 India Gate, New Delhi-110002

***Note: - Furnishing of Darpan ID shall be optional.

Subject: Application for 'prior permission' under sub-section (2) of section 11 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) for the acceptance of foreign contribution by an Association having definite cultural, economic, educational, religious or social programme:

Sir,

I _____, as an individual/
 Hindu Undivided Family / association / company registered under Companies Act 1956 / Companies Act, 2013; furnish the following details and apply for approval of the Central Government for the acceptance of foreign contribution under sub-section (2) of section 11 of the Act for prior permission.

1. Details of the applicant/Association:

(a) Name in full:

- (b) Address:
- (c) Telephone No. of the Association (with STD code):
- (d) e-mail address of the association:
- (e) official Website address, if any:
- (f) Telephone and mobile (with STD code) of the Chief Functionary:
2. Details of registration:
- (a) Name of the Act like Societies Registration Act, 1860, Indian Trust Act, 1882, Companies Act, 1956 / Companies Act, 2013, etc under which the association is registered:
- (b) Number, date and place of Registration:
(self-certified copy of the registration certificate to be enclosed):
- (c) PAN (Permanent Account Number) of the Association:
3. Nature of Association:
- (a) religious (b) cultural (c) economic (d) educational (e) social
- Note: If a religious Association, state whether (a) Hindu (b) Sikh (c) Muslim (d) Christian (e) Buddhist (f) Others.*
4. Main aim(s) and object(s) of the Association
(enclose self-certified copy of relevant pages of the Memorandum of Association and/or the Articles of Association, showing aims and objects of association):
5. (a) Details of the key functionaries of the Association:

Name	Name of father/spouse	Nationality	Aadhaar Number*	PAN	Occupation	Designation in the Association	Relationship with other Member(s) of the Executive Council / Governing body / Office bearers	Contact Details: Office Address; Residential Address; e-mail address; Landline no.; mobile no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

*Note:- Furnishing of details of Aadhaar number in column (4) shall be optional.

- (b) If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof:

Name	Date and Place of birth	Passport number	Address in the foreign country	Whether a person of Indian origin	PIO/OCI Card Number, if any	If resident in India, date From which residing in India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

6. Amount of fee paid (Rs.):
7. Whether any current Key functionary of the Association has, in the discharge of his/her official functions or private conduct:

- (a) been convicted by any court of law:
- (b) under prosecution for any offence pending against him/her:
- (c) been found guilty of diversion or mis-utilisation of funds of the Association or any other Association in the past:
- (d) has been prohibited from accepting foreign contribution:
- (e) is a current Key functionary of any other association:
- (f) is a current Key functionary of any other association against whom an order under sections 13 or 14 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) has been passed:

Note: If any of the replies to (a) to (f) above is “yes”, then full details of the case must be given:

8. Whether the applicant Association:

- (a) is a branch / unit / associate of a foreign based organisation or another association already registered or granted prior permission under the Act. If so, name, address of the organization and registration number/ prior permission number and date:
- (b) attracts section 10 of the Act and if so, details of the order passed by the Central Government under sub-section (3) of section 11 of the Act:
- (c) has been directed in terms of clause (d) of section 9 of the Act to seek prior permission by the Central Government. If so, the number and date of the relevant order:
- (d) had earlier been proceeded against as per provision of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976)/ the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if so, the details thereof:

9. Details of designated FC bank account for receipt of Foreign Contribution:

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	e-mail	IFSC Code	Account No.	Date of Opening Account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- 10. (i) (a) If granted prior permission in past to receive foreign contribution, number and date of sanction:
- (b) Date of submission of yearly accounts thereof:
- (ii) Whether:
 - (a) the Association has received foreign contribution without prior permission in the past. If so, furnish full particulars:
 - (b) said violation has been condoned/ compounded by the Central Government, if so, the number and date of the relevant order:
 - (c) Association has been prohibited from accepting foreign contribution, if so, details thereof:
- 11. Whether:
 - (i) the Association had applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) / the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so details thereof:
 - (ii) the Association had applied for prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) / the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so, details thereof:
 - (iii) the Association has close links with any another association(s), or its unit(s) or branches, which has been:

- (a) refused registration / prior permission:
 (b) prohibited from accepting foreign contribution:
 (c) suspended or whose registration has been cancelled:
 (d) if answer to any of (a) to (c) is yes, please give full particulars

12. Details of commitment of foreign contribution from donor:

Nature of the foreign contribution	Value (including name of currency)	Name of the project/ Activity; address of implementation with brief details of the project and budget break-up	Purpose (Cultural/ economic/ educational/ religious/ social)
(1)	(2)	(3)	(4)

13. Details of foreign source(s) from which the foreign contribution is proposed to be received:

Name of foreign source	Office Address; official e-mail address	In case of individual donor		
(1)	(2)	(3)		
		Name of father/ spouse	Nationality and Passport no.	Occupation

Yours faithfully,

[Name of the Chief Functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the Association)

Declaration and Undertaking

- (a) I hereby, declare that the information furnished above is true and correct; and
 (b) I undertake that the receipt of foreign contribution and its utilisation shall not be violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and the rules, notifications or orders issued thereunder from time to time.

Place:

Date:

[Name of the Chief Functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the Organisation/Association)

Note: Applicant seeking prior permission for foreign contribution for more than Rs.50,00,000/- (Fifty Lakh rupees) shall enclose audited statements of accounts and activity report of the association for the last three years from the date of submission of application.

FORM FC – 3C
[See rule 12 (2)]

No _____ Date _____
*Darpan ID**** _____

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing)
Major Dhyan Chand National Stadium,
India Gate, New Delhi-110002

***Note: - Furnishing of Darpan ID shall be optional.

Subject: Application for 'renewal' under section 16 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) for the acceptance of foreign contribution by an Association having definite cultural, economic, educational, religious or social programme:

I _____, as an individual/ Hindu Undivided Family / association / company registered under Companies Act 1956 / Companies Act, 2013, furnish the following details and apply for approval of the Central Government for Renewal of registration certificate granted under sub-section (1) of section 11 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

1. Details of the applicant/Association:

- (a) Name in full:
- (b) Address:
- (c) Telephone No. of the Association (with STD code):
- (d) e-mail address of the association:
- (e) official Website address, if any:
- (f) Telephone and mobile (with STD code) of the Chief Functionary:

2. Details of registration:

- (a) Name of the Act like Societies Registration Act, 1860, Indian Trust Act, 1882, Companies Act, 1956 / Companies Act, 2013, etc under which the association is registered:
- (b) Number, date and place of Registration:
(Self-certified *copy of the registration certificate to be enclosed*):
- (c) PAN (Permanent Account Number) of the Association:
- (d) Foreign Contribution (Regulation) Act Registration No. and date (in case of renewal) – copy of certificate to be enclosed:
- (e) Amount of Foreign Contribution received during last three financial years:-

Sl. No.	Financial Year	Amount (Rs)
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

3. Nature of Association:

- (a) religious (b) cultural (c) economic (d) educational (e) social

Note: If a religious Association, state whether (a) Hindu (b) Sikh (c) Muslim (d) Christian (e) Buddhist (f) Others.

4. Main aim(s) and object(s) of the Association:

(enclose self-certified copy of relevant pages of the Memorandum of Association and/or the Articles of Association, showing aims and objects of association):

5. (a) Details of the key functionaries of the Association:

Name	Name of father/spouse	Nationality	Aadhaar Number*	PAN	Occupation	Designation in the Association	Relationship with other Member(s) of the Executive Council / Governing body / Office bearers	Contact Details: Office Address; Residential Address; e-mail address; Landline no.; mobile no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

*Note: - Furnishing of details of Aadhaar number in column (4) shall be optional.

(b) If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof:

Name	Date and Place of birth	Passport number	Address in the foreign country	Whether a person of Indian origin	PIO/OCI Card Number, if any	If resident in India, date from which residing in India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(c) Details of changed Key functionaries on account of addition/ deletion/ removal/ resignation/ death etc., vis-à-vis the original application:-

Name	addition/ deletion/ removal/ resignation/ death etc.	Effective date	Reasons	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. Amount of fee paid (Rs.):

7. Whether any current Key functionary of the Association has, in the discharge of his/her official functions or private conduct:

- been convicted by any court of law:
- under prosecution for any offence pending against him/her:
- been found guilty of diversion or mis-utilisation of funds of the Association or any other Association in the past:
- has been prohibited from accepting foreign contribution:
- is a current Key functionary of any other association:
- is a current Key functionary of any other association against whom an order under sections 13 or 14 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) has been passed:

Note: If any of the replies to (a) to (f) above is "yes", then full details of the case shall be given.

8. Whether the applicant Association:

- is a branch / unit / associate of a foreign based organisation or another association already registered or granted prior permission under the Act. If so, name, address of the organization

- and registration number/ prior permission number and date:
- (b) attracts section 10 of the Act and if so, details of the order passed by the Central Government under sub-section (3) of section 11 of the Act:
- (c) has been directed in terms of clause (d) of section 9 of the Act to seek prior permission by the Central Government. If so, the number and date of the relevant order:
- (d) had earlier been proceeded against as per provision of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976)/ the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if so, the details thereof:
9. (a) Details of designated FC bank account for receipt of Foreign Contribution:

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	e-mail	IFSC Code	Account No.	Date of Opening Account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

There is no change in the bank details.

In case of any change, mandatorily intimate by filling FC-6 form.

9. (b) Details of all utilisation bank accounts for utilisation of Foreign Contribution (To be filled by applicant applying for renewal of registration):

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	e-mail	IFSC Code	Account No.	Date of Opening Account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

10. (i) (a) If granted prior permission in past to receive foreign contribution, number and date of sanction:
- (b) Date of submission of yearly accounts thereof:
- (ii) Whether:
- (a) the Association has received foreign contribution without prior permission in the past. If so, furnish full particulars:
- (b) said violation has been condoned/ compounded by the Central Government, if so, the number and date of the relevant order:
- (c) the Association has been prohibited from accepting foreign contribution, if so, details thereof:
- (d) the Association has earlier been suspended/cancelled, if so, details thereof:
- (e) the Association has earlier been refused renewal:
11. Whether:
- (i) the Association had applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) / the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so details thereof:
- (ii) the Association had applied for prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) / the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so, details thereof:
- (iii) the Association has close links with any another Association(s), or its unit(s) or branches, which has been:
- (a) refused registration / prior permission:

- (b) prohibited from accepting foreign contribution:
 (c) suspended or whose registration has been cancelled:
 (d) if answer to any of (a) to (c) is yes, please give full particulars:

Yours faithfully,

[Name of the Chief Functionary
 (Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the Association)

Declaration and Undertaking

- (a) I hereby, declare that the information furnished above is true and correct; and
 (b) I undertake that the receipt of foreign contribution and its utilisation shall not be violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and the rules, notifications or orders issued thereunder from time to time.

Place:

Date:

[Name of the Chief Functionary
 (Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the Organisation/Association)

FORM FC – 4 [See rule 17]

Darpan ID*** _____

The Secretary to the Government of India, Ministry of
 Home Affairs,
 Foreigners Division (FCRA Wing)
 Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002

***Note: - Furnishing of Darpan ID shall be optional.

Subject: Account of Foreign Contribution (FC) for the year ending on the
 31st March _____

1. FCRA registration/ prior permission number and date:
2. Details of receipt of foreign contribution:

(i) Foreign Contribution received in cash/ kind (value):

- (a) Brought forward foreign contribution at the beginning of the year (Rs.): .
- (b) Income during the year*: .
 - (i) Interest: .

(ii) Other receipts from projects/activities:

S No.	Name and location of project/ activity	Year of commencement of the project / activity	Income during the year (Rs.)
1			
Total			

(c) Foreign Contribution received during the financial year:

(i) Directly from a foreign source:

(ii) From a local source:

(d) Total Foreign Contribution (a+b+c) (Rs.):

* i.e. interest accrued on foreign contribution, or any other income derived from foreign contribution, e.g. sale proceeds from assets created from foreign contribution, or interest thereon during the year, income from projects/activities.

(ii) (a) Donor wise detail of foreign contribution received:

Sl. No.	Name of donor(s)	Institutional / Individual	Details of the donor: official Address; e-mail address; Website address;	Purpose(s) for which received (Social, Cultural, Educational, Economic, Religious)	Specific Activity/ project	Amount Rs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(b) Cumulative purpose-wise amount of all foreign contribution donations received:

3. Details of utilisation of foreign contribution:

(a) Details of activities/projects for which foreign contribution has been received and utilised (in rupees)

Sl. No.	Name of project/ activity	Address/ Location	Previous balance		Receipt during the year		Utilised		Balance	
			In cash	In kind	In cash	In kind	In cash	In kind	In cash	In kind
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(b) Details of utilisation of foreign contribution:

(i) Total Utilisation** for projects as per aims and objectives of the association (Rs.):

(ii) Total administrative expenses as provided in rule 5 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 (Rs.):

** It is affirmed that the utilisation of foreign contribution is not in contravention of the provisions contained in the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and more particularly in section 9 and section 12 of the Act which, *inter-alia*, states that the acceptance of foreign contribution is not likely to affect prejudicially:

- (A) the sovereignty and integrity of India; or
- (B) the security, strategic, scientific or economic interest of the State; or
- (C) the public interest; or
- (D) freedom or fairness of election to any Legislature; or
- (E) friendly relations with any foreign State; or
- (F) harmony between religious, racial, social, linguistic or regional groups, castes or communities.

(c) Total purchase of fresh assets (Rs.)

Sl. No.	Activity in the name of Association	Details	Purpose	Total (in Rs.)
(i)	Creation of movable assets			
(ii)	Creation of Immovable assets			
	Total			

(d) FC transferred to other associations

Sl. No.	Name of the association	Date	Purpose	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Total			

(e) Total utilisation in the year (Rs.) (b+c+d):

4. Details of unutilised foreign contribution:

(i) Total FC invested in term deposits (Rs.):

Sr. No.	Details	Total (in Rs.)
(i)	Opening Balance of FD	
(ii)	FD made during the year	
(iii)	Less: realisation of previous FD	
	Closing balance of FD	

(ii) Balance of unutilised foreign contribution, in cash/bank, at the end of the year (Rs):

- (a) Cash in hand:
- (b) in FC designated bank account:
- (c) in utilisation bank account(s):

5. Details of foreigners as Key functionary/working/associated:
6. Details of Land and Buildings remained unutilised for more than two years:

Sl. No.	Location of Land and Building	Year of acquisition	Purpose of acquisition	Reason of unutilisation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. (a) Details of designated FC bank account for receipt of Foreign Contribution (As on 31st March of the year ending):

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	Phone No.	E-mail	IFSC Code	Account No.	Date of Opening Account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- (b) Details of all utilisation bank accounts for utilisation of Foreign Contribution (As on 31st March of the year ending):

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	Phone No.	E-mail	IFSC Code	Account No.	Date of Opening Account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

I also affirm that the receipt of foreign contribution and its utilisation have not been violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), and the rules, notifications or orders issued thereunder from time to time and the foreign contribution was utilised for the purpose(s) for which the association was granted registration/ prior permission by the Central Government.

Place:

Date:

[Name of the Chief Functionary
(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) in block letters]
(Seal of the Association)

Certificate to be given by Chartered Accountant

I/We have audited the account of _____ (name of Association and its full address including State, District and Pin Code, if registered society, its registration number and State of registration) for the financial year ending the 31st March _____ and examined all relevant books and vouchers and certify that according to the audited account:

- (i) the brought forward foreign contribution at the beginning of the financial year was Rs. _____;
- (ii) foreign contribution of / worth Rs. _____ was received by the Association during the financial year _____;
- (iii) interest accrued on foreign contribution and other income derived from foreign contribution or interest thereon/worth Rs. _____ was received by the Association during the financial year _____;
- (iv) the balance of unutilised foreign contribution with the Association at the end of the financial year _____ was Rs. _____;

(v) Certified that the Association has maintained the accounts of foreign contribution and records relating thereto in the manner specified in section 19 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) read with rule 17 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011.

(vi) The information in this certificate and in the enclosed Balance Sheet and statement of Receipt and Payment is correct as checked by me/us.

(vii) The association has utilised the foreign contribution received for the purpose(s) it is registered/ granted prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

Place:

Date:

Signature of Chartered Accountant
(Seal, Address and Registration number)

FORM FC – 5

[See rule 24 (1)]

Darpan ID*** _____

The Secretary to the Government of India, Ministry of
Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing)
Major Dhyan Chand National Stadium,
India Gate, New Delhi-110002

***Note: - Furnishing of Darpan ID shall be optional.

Subject: Application for seeking permission for transfer of foreign contribution to other un- registered persons.

Sir,

I _____, on behalf of the Association _____ apply for seeking permission of the Central Government under the proviso to section 7 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) for transfer of foreign contribution to other un- registered persons, as per details given below:

1. FCRA registration/ prior permission Number and date of the applicant/ transferor association:

2. a. Details of the recipient /transferee (*in case of association*):

- (i) Name in full:
- (ii) Contact Details
 - (a) Address:
 - (b) Official Telephone No. of the Association (with STD code):
 - (c) Official e-Mail address:
 - (d) Telephone and mobile number of the Chief Functionary (with STD code):
- (iii) PAN (Permanent Account Number) of the Association:
- (iv) Darpan ID (Optional):

b. Details of registration of recipient /transferee (*in case of association*):

- (a) Name of the Act like Societies Registration Act, 1860, Indian Trust Act, 1882, Companies Act, 1956/ Companies Act, 2013, etc., under which the association is registered:
- (b) Registration number, date and place of registration:
(self-certified *copy of the registration certificate to be enclosed*)

3. Details of the recipient /transferee (*in case of an individual*):

- (i) Name in full:
- (ii) Contact Details:
 - (a) Address:

- (b) Official Telephone No. of the individual (with STD code):
(c) Official e-Mail address:
(d) Telephone and mobile number of the individual (with STD code):
- (iii) PAN (Permanent Account Number) of the individual:
(iv) Aadhaar Number (Optional):
4. Amount of Foreign contribution to be transferred:
5. Purpose for the proposed transfer of foreign contribution:
6. Bank details and exclusive FCRA designated account number opened by the recipient, in which FC is proposed to be transferred:

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	IFSC Code	Account No	Date of Account Opening
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

I hereby declare that the information furnished above is true and correct.

[Name of the Chief Functionary
(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*
(Seal of the Association)]

Note:

- (i) Every application shall be accompanied by a declaration from the transferor Association to the effect that—
(a) the amount proposed to be transferred during the financial year is less than ten per cent of the total value of the foreign contribution received by him during the financial year;
(b) the transferor shall not transfer any amount of foreign contribution until the Central Government approves such transfer.
- (ii) Both the transferor and the recipient shall be responsible for ensuring proper utilisation of the foreign contribution so transferred and such transfer of foreign contribution shall be reflected in the returns in Form FC-4 to be submitted by both the transferor and the recipient.

FORM FC-6A

[See rule 9 and 17A]

Darpan ID*** _____

The Secretary to the Government of India, Ministry of
Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing)
Major Dhyan Chand National Stadium,
India Gate, New Delhi-110002

***Note: - Furnishing of Darpan ID shall be optional.

Subject: Intimation under rule 9 and rule 17 A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 to the Central Government regarding Change of *name / address within the State* in respect of the association granted registration/ prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):

Sir,

I, as an individual/ association/ company hereby submit the following intimation as required under rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011:

Change of name and/ or address within the State of the Association
--

1. FCRA Registration/ Prior Permission number and date of the association:
 2. Official telephone number of the association:
 3. E-mail address of the association:
 4. Telephone/ mobile number of the Chief Functionary of the association:
- (To be filled by applicant giving intimation regarding Change of name and/ or address within the State the association)

- (i) Amended/ changed name of the association as recorded with local/ relevant authority:
- (ii) Amended/ changed address within the State of the association as recorded with local/ relevant authority:

(self-certified copy of amendment approved by local/relevant authority to be enclosed)

I hereby affirm that the information furnished above is true and correct and:

- (a) Change of name and/ or address within the State of the association has been duly recorded with the concerned registering authority:
- (b) The resolution of the governing body has been passed before effecting the changes:
- (c) None of the key members has been appointed in violation of sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

(strike out whichever is not applicable).

[Name of the Chief Functionary
(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the Association)

FORM FC-6B

[See rule 9 and 17A]

Darpan ID*** _____

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

Major Dhyan Chand National Stadium,

India Gate, New Delhi-110002

***Note: - Furnishing of Darpan ID shall be optional.

Subject: Intimation under rule 9 and rule 17 A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 to the Central Government regarding Change of nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities in respect of the association granted registration/ prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):

Sir,

I, as an individual/ association/ company hereby submit the following intimation as required under rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011:

Change of nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities in respect of the association for which registration/ prior permission granted under the above Act
--

1. FCRA Registration/ Prior Permission number and date of the association:
2. Official telephone number of the association:
3. E-mail address of the association:
4. Telephone/ mobile number of the Chief Functionary of the association:

(To be filled by applicant giving intimation regarding Change of nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities in respect of the association which are granted registration/ prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010)

New nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities:

- (i) Amended/Changed nature of the Association:
- (ii) Amended/Changed aims and objects of the Association:
- (iii) Amended/Changed registration No. with local/relevant authorities:

I hereby affirm that the information furnished above is true and correct; and

- (a) The resolution of the governing body has been passed before effecting the changes:
- (b) Change of nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities of the association has been duly recorded with the concerned registering authority:
- (c) None of the key members has been appointed in violation of sub-section (4) of section 12 of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

(strike out whichever is not applicable)

[Name of the Chief Functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the Association)

FORM FC-6C

[See rule 9 and 17A]

Darpan ID***

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

Major Dhyan Chand National Stadium

India Gate, New Delhi-110002

***Note: - Furnishing of Darpan ID shall be optional.

Subject: Intimation under rule 9 and rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 to the Central Government regarding **Change of designated FC receipt-cum-utilisation bank account** in respect of the association granted registration/ prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):

Sir,

I, as an individual/ association/ company hereby submit the following intimation as required under rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011:

Change of designated bank/ branch/ bank account number of <i>designated FC receipt-cum-utilisation bank account</i>
--

1. FCRA Registration/ Prior Permission number and date of the association:
2. Official telephone number of the association:
3. E-mail address of the association:
4. Telephone/ mobile number of the Chief Functionary of the association:

(To be filled by applicant giving intimation regarding Change of designated bank/ branch of the bank/ account number of designated FC receipt-cum-utilisation bank account for receipt and utilisation of foreign contribution)

Details of the new designated **FC receipt-cum-utilisation bank account** of the association for receipt and utilization of foreign contribution:.

Name of the Bank	Branch Address	e-mail	IFSC Code	Account No	Date of Account Opening
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(self-certified copies of letter from the existing bank and the new bank regarding the change to be enclosed)

I hereby affirm that the information furnished above is true and correct; and:

- (a) The resolution of the governing body has been passed before effecting the changes;
- (b) The Bank authorities have been duly informed about change in the designated FC receipt-cum-utilisation bank account;
- (c) None of the key members has been appointed in violation of section sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

(strike out whichever is not applicable)

[Name of the Chief Functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) in block letters]

(Seal of the Association)

FORM FC-6D

[See rule 9 and 17A]

Darpan ID*** _____

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

Major Dhyan Chand National Stadium

India Gate, New Delhi-110002

***Note: - Furnishing of Darpan ID shall be optional.

Subject: Intimation under rule 9 and rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 to the Central Government regarding **opening of additional FC-utilisation account** in respect of the association granted registration/ prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):

Sir,

I, as an individual/ association/company hereby submit the following intimation as required under rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011:

Opening of additional FC-utilisation Bank Account for the purpose of utilisation of foreign contribution

1. FCRA Registration/ Prior Permission number and date of the association:
2. Official telephone number of the association:
3. E-mail address of the association:
4. Telephone/ mobile number of the Chief Functionary of the association:

(To be filled by applicant giving intimation of opening of Utilisation Bank Account(s) for the purpose of utilization of foreign contribution)

Name of the Bank	Branch Address	e-mail	IFSC Code	Utilisation Account Number	Date of Account opening
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I hereby affirm that the information furnished above is true and correct and

- (a) the resolution of the governing body has been passed before opening of additional FC-utilisation account;
- (b) the Bank authorities have been duly informed about opening of additional FC-utilisation account;
- (c) none of the key members has been appointed in violation of sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

(strike out whichever is not applicable)

[Name of the Chief Functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the Association)

FORM FC-6E

[See rules 9 and 17A]

Darpan ID*** _____

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

Major Dhyan Chand National Stadium,

India Gate, New Delhi-110002

***Note: - Furnishing of Darpan ID shall be optional.

Subject: Intimation under rule 9 and rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 to the Central Government regarding Change **in key members** in respect of the association granted registration/ prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):

Sir,

I, as an individual/ association/ company hereby submit the following intimation as required under rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011:

Change in fifty per cent. or more of the original Key members of the association

1. FCRA Registration/ Prior Permission number and date of the association:
2. Official telephone number of the association:
3. E-mail address of the association:
4. Telephone/ mobile number of the Chief Functionary of the association:

(To be filled by applicant giving intimation regarding change in fifty per cent. or more of the original key members of the association)

Details of all the key members of the association after change in fifty per cent. or more of the original key members, as reported in the application for grant of registration/prior permission/renewal of registration of the association under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010:

Name	Name of father/ spouse	Nationality	Aadhaar Number*	PAN	Occupation	Designation in the Association	Relationship with other Member(s) of the Executive Council / Governing body / Office bearers	Contact Details: Office Address; Residential Address; e-mail address; Landline no.; mobile no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

*Note: - Furnishing of details of Aadhaar number in column (4) shall be optional.

If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof:

Name	Date and Place of birth	Passport number	Address in the foreign country	Whether a person of Indian origin	PIO/OCI Card Number, if any	If resident in India, date from which residing in India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I hereby affirm that the information furnished above is true and correct; and

- (a) the resolution of the governing body has been passed before effecting the changes;
- (b) none of the key members has been appointed in violation of sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

(strike-out whichever is not applicable)

[Name of the Chief Functionary
(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) in block letters]
(Seal of the Association)”.]

[F. No. II/21022/23(52)/2014-FCRA-III]

ANIL MALIK, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 349(E), dated the 29th April, 2011 and subsequently amended vide G.S.R. 292 (E), dated the 12th April, 2012 and G.S.R. 966(E), dated the 14th December, 2015.